



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक

/ 124 देहरादून,

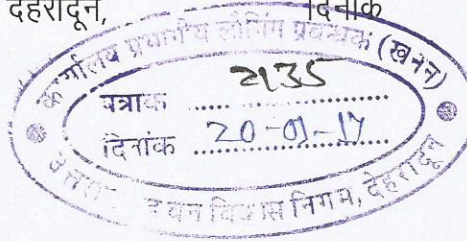
दिनांक

20

जनवरी, 2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं,
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



विषय:-

जनपद देहरादून में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा झाजरा रेंज, के अन्तर्गत स्वारना नदी से उपखनिज चुगान हेतु 23.75 है० वन विकास निगम को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक-1787/1जी-FP/UK/MIN/20542/2016 दिनांक-09.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी उत्तराखण्ड वन विकास निगम ने अपने कार्यालय पत्रांक-1748/स्वारना नदी/ दिनांक-17.01.2017 से संशोधित उत्तर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत उत्तर एतत्सह दो प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न किया जा रहा है कृपया प्रस्ताव की विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार दो प्रतियों में

भवदीय,

(प्रसन्न कुमार पात्रो)
प्रभागीय वनाधिकारी,

देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक- 1424 / दिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रभागीय लौगिक प्रबन्धक (खनन) उत्तराखण्ड वन विकास निगम 15/15 ए कालीदास रोड देहरादून को उनके कार्यालय पत्रांक -1748/ स्वारना नदी दिनांक-09.01.2017 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रसन्न कुमार पात्रो
17/01/2017

(प्रसन्न कुमार पात्रो)
प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।



उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कार्यालय प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक,(खनन)

15/15 ए कालीदास रोड देहरादून। फ़ोन-0135-2743428

Email - dlmkhanand.dun@gmail.com

पत्रांक 1748 / स्वारना नदी
सेवा में,

दिनांक 17/01/2016 2017

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून।

विषय :- जनपद देहरादून में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा झाजरा रेंज स्वारना नदी से उपखनिज चुगान हेतु 23.75 है० वन भूमि का वन विकास निगम को प्रत्यावर्तन।
सन्दर्भ :- क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन अनुसंधान परिसर, देहरादून का पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/०५/१६६/१३२० दिनांक 18.11.2016

महोदय,

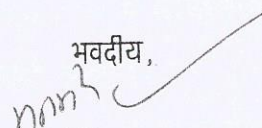
उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा स्वारना नदी 23.75 है० झाझरा रेंज, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून से उपखनिजों के चुगान के सम्बन्ध में प्राप्त सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दु 01 से 05 तक अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी/अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण, देहरादून को प्रेषित करने हेतु निम्नानुसार प्रेषित है।

क्र०सं०	शर्तें	परिपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 47.50 है० सौड़ा ब्लॉक में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण 47.50 है० एवं 10 वर्षों के रखरखाव हेतु धनराशि रु० 1,09,39,345.00 , सेफटी जोन क्षेत्र हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण धनराशि रु० 16,72,000.00 एवं सेफटी जोन क्षेत्र हेतु ताड़-बाड़ धनराशि रु० 81,27,050.00 कुल धनराशि रु० 2,07,38,395.00 RTGS के माध्यम से दिनांक 23.12.2016 को CAMPA में जमा कराये जा चुके है। चालान की छायाप्रति संलग्न है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार एन.पी.वी. देने छूट प्राप्त है। आदेश की छायाप्रति संलग्न है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाये।	अगर भारत सरकार द्वारा वर्तमान मूल्य में अतिरिक्त दर में बढोतरी की जाती है तो बढी हुई दर के अनुसार देयता धनराशि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा जमा की जायेगी।

	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम से चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाये।	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) के अतिरिक्त दूसरी सभी निधियां क्षतिपूर्क वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा (CAMP) में जमा करा दी गयी है।
5	निर्माण कार्य के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में परियोजना क्षेत्र में खाली पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को हस्तांतरित की जायेगी। उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा इस आशय की वचन बद्धता दी जाती है।

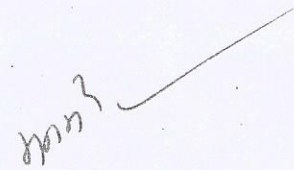
स्वर्णा नदी 23.75 है० झाझरा रेंज, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून में उपखनिज चुगान कार्य प्रारम्भ करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न:- चालान की छायाप्रति।

भवदीय,

 प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन),
 उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
 देहरादून

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- नोडल अधिकारी/अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण, देहरादून को चालान की एक छायाप्रति के साथ।
- 2- क्षेत्रीय प्रबन्धक (टि०क्ष०), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।


 प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन),
 उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
 देहरादून।